सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं . NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW -RU·IV

दिनांक :19.02.2025

To,

1. **उपायुक्त,**
जिला - रांची,
कचहरी चौक ब्लॉक- बी,
कमरा नंबर-504,
राँची-834001, झारखण्ड
ई:मेल- dc-ran@nic.in

2 **पुलिस अधीक्षक,**
जिला –रांची
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

3. **प्रशासक,**
रांची नगर निगम,
कचहरी रोड,
राँची-834001, झारखण्ड
ई:मेल- support@ranchimunicpal.com

विषय: भू माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम – हरमू, टोंगरी टोली ,जतरा मैदान के पास, थाना – अरगोड़ा, वार्ड सं-.26, जिला – रांची, झारखण्ड दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि

श्री संदीप उराँव,
ग्राम – हरमू, टोंगरी टोली,
जतरा मैदान के पास, थाना – अरगोड़ा, वार्ड सं-.26,
जिला – रांची, झारखण्ड-834002
फोन नं .6203640664

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

भू-माफियाओं द्वारा शिकायतकर्ता की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम-हरमू टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना-अरगोडा, वार्ड सं.-26, जिला-रांची, झारखण्ड की शिकायत में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 31.01.2025 को हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	31.01.2025 को 11.00 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-। के अनुसार।

मामले में श्री संदीप उराँव से आयोग को शिकायत प्राप्त हुई जिसमे उन्होंने बताया कि उनकी पुश्तैनी भूमि हरमू मौजा में स्थित है, जिसका खाता नंबर 13/4 और प्लॉट नंबर 312 है। यह भूमि जनजातीय धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और संदीप 2019 तक यहाँ शांति से खेती कर रहे थे। वर्तमान में, इस भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिसे रोकने के लिए संदीप ने 2020 और 2021 में नगर निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संदीप के पिता की हत्या भी इसी भूमि के विवाद में 2000 में की गई थी। संदीप के रिश्तेदार शिव राम तिर्की ने भी इस समस्या को लेकर नगर निगम को आवेदन दिया था, और अदालत में सुनवाई भी हुई थी। संदीप ने नगर निगम से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें केवल अभद्र व्यवहार और निराशा मिली। अब संदीप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, और वह अपनी पुश्तैनी भूमि को बेचने के लिए विवश हैं। उन्होंने प्रशासन से न्याय की अपील की है और अपनी भूमि को वापस पाने में मदद की मांग की है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु उपायुक्त, जिला रांची एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रांची, झारखंड को नोटिस दिनांक 24.04.2023 भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में उत्तर/रिपोर्ट संतोषजनक न प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 04.10.2024 को सिटिंग/सुनवाई की गई। तदनुसार, संबंधित प्राधिकारियों को सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत भेजा गया, जिसके संदर्भ में कोई कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 31.01.2025 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की गई, तदनुसार संबंधित प्राधिकारियों को सिटिंग/सुनवाई का नोटिस भेजा गया।

4. सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, जिला और प्रशासक, रांची नगर निगम, की ओर से जिला आपूर्ति अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। जिन्हें मामले तथा भूमि संबंधित विषय की कोई जानकारी नहीं थी। इससे न केवल आयोग का समय व्यर्थ हुआ, बल्कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों पर जिला प्रशासन की अनदेखी भी सामने आई। इतना समय बीत जाने के बावजूद मामले में कोई ठोस कार्रवाई न करना, अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने में पूरी तरह से उपेक्षा को दर्शाता है | पुलिस अधीक्षक, जिला रांची, अनुपस्थिति रहे | जबकि शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित थे।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
New Delhi

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा अनुशंसा की जाती है कि :-

I. मामले में, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अगली सुनवाई में सभी संबंधित प्राधिकारियों की उपस्थिति, आयोग की अनुशंसाओं पर अब तक की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट के साथ अनिवार्य होगी ।

आशा लकड़ा
12/02/2025

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

Sitting to be held on 31.01.2025 at 11:00 A.M - भू माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम – हरमू, टोंगरी टोली ,जतरा मैदान के पास, थाना – अरगोड़ा, वार्ड सं-.26, जिला – रांची, झारखण्ड दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Director		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.			
6.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi**		
1.	Pradeep Bhagat District Welfare Officer, Ranchi	7759055935	[signature] 31/1/25
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Superintendent of Police, Ranchi**		
1.			
2.			
3			
IV	**Officers from O/o Administrator, Ranchi Municipal Corporation**		
1.			
2.			
V	**Petitioners**		
1.	Sandeep Oraon	6203640664	Sandeep Oraon
2.			